



१०/१२८

बाली कैम्प जालोर

पकील श्री अरविन्द राजपुरोहित रेस्यो. स. १
की ओर से प्रार्थना पत्र पञ्जावली तल्ल
करने वाक्य पर आज पेश हुयी। अधिवक्ता
रेस्यो. ने प्रार्थना पत्र वाक्य अपील खारिज
करवाने वाक्य पेश कर गिरेल किया कि
उक्त अपील आदेश दिनांक २६/६/२०२३
के पिकर प्रस्तुत की गयी। उकरण
से संबंधित प्रार्थना पत्र संख्या ०/२०१
की अधीनस्थ न्यायालय ने दि. १०/१२८
की निस्तारित करते हुए अपील का प्र
पत्र खारिज किया है अतः उक्त अपील
खारिज करमावे।

अधिवक्ता रेस्यो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश
दिनांक १०/१२८ का अवलोकन किया। निम्न
स्पष्ट है कि उकरण से संबंधित


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाली कैम्प जालोर

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>पार्कना पत्र का निस्तारण होने से उम्त अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्गम की जकर क्षय तकनीक संख्या से एक कम हफ्त दाखिर दफ्तर हो</p> <p style="text-align: right;">  राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प जालोर </p>	